कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

पुनर्व्यवस्थापन हेतु देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की अनुज्ञप्तियों का आवेदन पत्र प्रणाली में व्यवस्थापन वर्ष 2016–17

"विज्ञप्ति"

क्रमांक/आब./ठेका/2016/5278 रायपुर, दिनांक 23-11-2016

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए, राज्य शासन के आदेशानुसार, यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि, रायगढ़ जिले की **देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह क्रमांक 07, किरोड़ीमल चौक, रायगढ़ के पुनर्व्यवस्थापन हेतु प्रथम विज्ञप्ति दिनांक 24.11.2016 से दिनांक 28.11.2016 तक इच्छुक आवेदनकर्ताओं से निर्धारित प्रपत्र पर ऑन–लाईन आवेदन आमंत्रित किए जावेंगे।**

लॉटरी द्वारा चयन की तिथि दिनांक 29.11.2016 समय अपरान्ह 12:00 बजे से तथा लायसेंसी का चयन करने का स्थान जिला कलेक्टोरेट रायगढ़ होगा।

2/ आवेदन पत्र **https://excise.cg.nic.in/eApplication** के वेब साईट में उपलब्ध रहेगा।

3/ संबंधित जिले की मदिरा दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी, संबंधित जिला कार्यालय में अवकाश दिवसों को छोड़कर कार्यालयीन समयावधि में प्राप्त की जा सकती है।

4/ शेष समस्त शर्तें एवं निर्बन्धन, इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक/आब./ठेका/2016/491–492, रायपुर दिनांक 10.02.2016 के अनुसार ही होगी, जिसका अवलोकन संबंधित जिला कार्यालय में अवकाश दिवस के छोड़कर कार्यालयीन अवधि के अतिरिक्त विभाग के वेब साईट **http://excise.cg.nic.in** के Recent Posts **में तथा राज्य शासन के वेबसाईट** http://cgstate.gov.in **के** सूचना निर्देशिका एवं **लिंक** http://cgstate.gov.in/tenders में भी किया जा सकता है।

5/ इसके बाद भी यदि आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तब विभाग **प्रथम आओ–प्रथम पाओ** की नीति पर उक्त दुकानों का व्यवस्थापन कर सकेगा।

(ए.के. अग्रवाल)
आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़

पृष्ठा.क्रमांक / आब / ठेका / 2016 / 5279 रायपुर, दिनांक 23-11-2016.

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव मान. मंत्री जी, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर को उक्त विज्ञप्ति की 10 प्रतियां भेजकर अनुरोध है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय समाचार पत्रों में तत्काल प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
4. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर,
5. कलेक्टर, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)
6. समस्त अपर आयुक्त आबकारी, उपायुक्त आबकारी एवं सहायक आयुक्त आबकारी, मुख्यालय, रायपुर,
7. राज्य सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
8. सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय, बैरन बाजार, रायपुर
9. प्रभारी अधिकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर
10. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, संभाग–रायपुर / बिलासपुर / बस्तर (छ.ग.)
11. उपायुक्त आबकारी, जिला–रायपुर (छ.ग.)
12. समस्त सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी (छ.ग.)

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

23.11.16

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
आबकारी विभाग, छ.ग., रायपुर

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट–एक

देशी/विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों के आवेदन प्रणाली में व्यवस्थापन वर्ष 2016–17 हेतु (दिनांक 01.12.2016 से 31.03.2017 तक) दुकानवार निर्धारित राजस्व

क्र.	नाम जिला	स मू ह क्र.	नाम दुकान/समूह	तहसील का नाम	न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा वर्ष 2016–17			ड्यूटी की राशि वर्ष 2016–17 (रूपयों में) अर्थात 01.12.2016 से 31.03.2017 तक			योग ड्यूटी राशि (रूपयों में) (कॉलम नं. 9+10+11)	01.12.2016 से 31.03.2017 तक के लिए लायसेंस फीस वर्ष 2016–17 (रूपयों में)	वर्ष 2016–17 हेतु शेष माहों के लिए निर्धारित राजस्व (रूपयों में) (कॉलम नं. 12+13)	शेष माहों के लिए ड्यूटी राशि की प्रतिभूति राशि (रूपयों में)	शेष माहों के लिए लायसेंस फीस की प्रतिभूति राशि (रूपयों में)	माह दिसम्बर 2016 की अग्रिम लायसेंस फीस की राशि (रूपयों में)
					देशी मदिरा (प्रू.ली.)	विदेशी मदिरा		देशी मदिरा (रूपयों में)	विदेशी मदिरा							
						स्प्रिट (प्रू.ली.)	माल्ट (ब.ली.)		स्प्रिट (रूपयों में)	माल्ट (रूपयों में)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	रायगढ़	1	किरोड़ीमल चौक समूह रायगढ़	रायगढ़												
		1	दे.म.दु. ढिमरापुर रायगढ़		55459	---	---	5545900	---	---	5545900	9808808	15354708	1320417	2452202	2452202
		2	वि.म.दु. किरोड़ीमल चौक रायगढ़		---	57750	46480	---	7218750	1162000	8380750	15336904	23717654	2064583	3834226	3834226
			योग :–		55459	57750	46480	5545900	7218750	1162000	13926650	25145712	39072362	3385000	6286428	6286428

टीप :– चयनित लायसेंसी द्वारा प्रतिभूति एवं लायसेंस फीस की राशि जिस तिथि को जमा की जावेगी, उसके पूर्व की तिथियों का समानुपातिक रूप से गणना कर एम.जी. एवं राजस्व में कमी की जावेगी।

23.11.16

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
आबकारी विभाग, छ.ग., रायपुर

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

प्रपत्र 2

देशी/विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों के आवेदन प्रणाली में व्यवस्थापन वर्ष 2016–17 हेतु (दिनांक 01.12.2016 से 31.03.2017 तक) समूहवार निर्धारित राजस्व

District Code	District Name	Group Name	Group Code	वर्ष 2016–17 के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा देशी मदिरा (प्रू.ली.)	वर्ष 2016–17 के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा विदेशी मदिरा स्प्रिट (प्रू.ली.)	वर्ष 2016–17 के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा विदेशी मदिरा माल्ट (ब.ली.)	ड्यूटी की राशि वर्ष 2016–17 देशी मदिरा (रू.में)	ड्यूटी की राशि वर्ष 2016–17 विदेशी मदिरा स्प्रिट (रू.में)	ड्यूटी की राशि वर्ष 2016–17 विदेशी मदिरा माल्ट (रू.में)	योग ड्यूटी राशि वर्ष 2016–17 (रू.में)	लायसेंस फीस वर्ष 2016–17 (रू.में)	दुकान/समूह का शेष माहों का राजस्व लक्ष्य वर्ष 2016–17 (रू.में)	शेष माहों की ड्यूटी राशि की प्रतिभूति राशि (रू.में)	शेष माहों की लायसेंस फीस की प्रतिभूति रप्रशि (रू.में)	माह दिसम्बर, 2016 की अग्रिम लायसेंस फीस की राशि (रू.में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Raigarh	Group Kirodimal chowk Raigarh	07	55459	57750	46480	5545900	7218750	1162000	13926650	25145712	39072362	3385000	6286428	6286428

23-11-16

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
आबकारी विभाग, छ.ग., रायपुर